

Witness No. . 08 for-अभियोजन Deposition taken

the -12 / 02 / 2025- . day -- बुधवार --. Witness's apparent age .-47 वर्ष...

States on affirmation -शपथपूर्वक..... my name is – यादराम नेताम

s/o – स्व. श्री गोवर्धन सिंह नेताम Occupation – प्रधान आरक्षक क्र. 1616

address :-कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक, अटल नगर, नया रायपुर जिला रायपुर छ.ग.

समय प्रारंभ :- 01:00 बजे।

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्रीमती स्वाति शर्मा विशेष लोक अभियोजक वास्ते राज्य

01. मैं नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय अटल नगर नया रायपुर में वर्ष 2017 से वर्तमान तक नगर पुलिस अधीक्षक रीडर के पद पर पदस्थ हूँ। दिनांक 27.08.2023 थाना राखी के आरक्षक द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक अटल नगर, नया रायपुर के नाम एनडीपीएस एक्ट का डाक मय प्रतिवेदन मुखबिर सूचना पंचनामा एवं सर्च वारंट तलाशी पंचनामा लाकर दिया था जिसे प्राप्त कर मैंने पावती दी थी जो प्रदर्श पी. 49 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर एवं ब से ब भाग पर कार्यालय की सील अंकित है। मैंने उक्त डाक प्राप्त कर नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उपस्थित होने पर उन्हें उक्त डाक प्राप्त होने की जानकारी मय डाक दे दी थी।

02. तत्पश्चात थाना राखी के आरक्षक द्वारा दिनांक 27.08.2023 को अपराध क्रमांक 150 / 2023 धारा 20 बी. एनडीपीएस के प्रकरण में संपूर्ण कार्यवाही का प्रतिवेदन नगर पुलिस अधीक्षक अटल नगर, नया रायपुर के नाम लाकर दिया था जिसे प्राप्त कर मैंने पावती दी थी जो प्रदर्श पी. 50 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर एवं ब से ब भाग पर कार्यालय की सील अंकित है। मैंने उक्त डाक प्राप्त कर नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उपस्थित होने पर उन्हें उक्त डाक प्राप्त होने की जानकारी मय डाक दे दी थी।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री शोएब खान वास्ते आरोपी विशाल मिश्रा

03. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा प्रदर्श पी. 49 में कथित डाक प्राप्त करने का समय 9:10 बजे अंकित किया गया है जो कि मैंने पुलिस अधिकारी के कहने पर इंद्राज किया है। यह कहना गलत है कि 9:20 बजे तैयार किया प्रदर्श पी. 2 मुखबिर सूचना पंचनामा का दस्तावेज अधिकारी के कहने पर 10 मिनट पूर्व 9:10 बजे पर प्राप्त करना इंद्राज किया है। यह कहना सही है कि उक्त डाक किस पुलिस वाले द्वारा मुझे लाकर दिया गया था मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मुझे उक्त डाक लेकर नहीं दिया गया था इसलिए मैं पुलिस वाले का नाम नहीं बता सकता।

04. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी. 50 संपूर्ण कार्यवाही के प्रतिवेदन के दस्तावेज पर मेरे द्वारा पावती प्रदान करने का दिनांक एवं समय का उल्लेख नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा उक्त कार्यवाही उच्चाधिकारियों के कहने पर की गई है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री अमित घोषाल वास्ते आरोपीगण शनि कुमार एवं अंशुल

05. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी. 49 दिनांक 27.08.2023 को प्राप्त होने का उल्लेख किया हूं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी. 50 किस दिनांक को प्राप्त हुआ था उसका उल्लेख नहीं किया हूं। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी. 50 मुझे चालान पेश करने के एक-दो दिन पूर्व प्राप्त हुआ था इसलिए मैं प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर के बाद दिनांक का उल्लेख नहीं किया हूं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी. 49 एवं प्रदर्श पी. 50 कौन आरक्षक लेकर आया था इस बात का उल्लेख मैंने प्रदर्श पी. 49 एवं प्रदर्श पी. 50 में नहीं किया है।

06. यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श पी. 49 एवं प्रदर्श पी. 50 में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि सीएसपी साहब को सूचना दे दी गई हो या सीएसपी साहब

कार्यालय से बाहर है। यह कहना सही है कि जो भी दस्तावेज सीएसपी कार्यालय में आते हैं उसका इंड्राज कार्यालय के आवक-जावक रजिस्टर में किया जाता है। यह कहना सही है कि आवक-जावक रजिस्टर लेकर नहीं आया हूं। यह कहना गलत है कि मैं उक्त दिनांक को प्रदर्श पी. 49 एवं प्रदर्श पी. 50 नहीं प्राप्त हुआ था इसलिए मैं आवक-जावक रजिस्टर लेकर नहीं आया हूं।

समय समाप्त 01:25 बजे।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही होना स्वीकार किया।

सही / -

सही / -

(दिलेश कुमार यादव)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस)
रायपुर (छ0ग0)

(दिलेश कुमार यादव)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस)
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी के हस्ताक्षर